18.3.25

~~पत्रावली पेश हुयी रेस्पोडेन्ट की Ex Parte की जाती है।~~

पत्रावली पेश हुयी। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट अनु० है। अतः रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अपीलान्टान की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसला में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

आसीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/25	01.08.2024	18.03.2025

उनवान

01. राकेश कुमार पुत्र खुशहाल सिंह
02. विजेन्द्र सिंह पुत्र खुशहाल सिंह
03. राजेश पुत्र खुशहाल सिंह
04. कमलसिंह पुत्र खुशहाल सिंह
05. श्रीमती सुषमा सैनी पुत्री खुशहाल सिंह जातियान सैनी निवासीयान वार्ड नं0 8 पलवल रोड, सोहना जिला गुरूग्राम हरियाणा

.....अपीलान्टान

बनाम

01. ग्राम पंचायत डाबरी जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत डाबरी तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर

..... अप्रार्थी

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत डाबरी बावत इन्तकाल सं0 360 दिनांक 06.01.2014 ग्राम बरामदा तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा

निर्णय

अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 560 रकबा 0.18 हे0, 561 रकबा 0.49 हे0, 562 रकबा 0.53 हे0, 563 रकबा 0.28 हे0, 539 रकबा 0.35 हे0, वाके ग्राम बरामदा ग्राम पंचायत डाबरी तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो जर्ये बयनामा के दिनांक 27.02.2012 को खातेदार श्रीमती शान्तिबाई पुत्र बधावाराम जाति राजपूत से 1/9 हिस्सा मिन अपीलान्ट के पिता खुशहाल सिंह पुत्र चतरसिंह सैनी ने खरीद की थी। उक्त आराजी अपील में विवादित आराजी कह लायेगी। उक्त विवादित आराजी के सम्बन्धित बयनामा को अपीलान्टान के पिता ने इन्तकाल हेतु हल्का पटवारी डाबरी को दे दिया, हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज कर मिलान हेतु कानूनगो साहब से मिलान करवा कर फैसला हेतू ग्राम पंचायत डाबरी के समक्ष पेश किया तो ग्राम पंचायत डाबरी के तत्कालीन सरपंच ने बिना प्रस्ताव व बिना ग्राम पंचायत की बैठक किये स्वंय ही अपने स्तर पर बिना मौका देखे पूर्वाग्रह से एक लाईन लिखकर खारिज कर दिया कि मौके पर कब्जा न होने के कारण इन्तकाल खारिज किया जाता है। जो दिनांक 06.01.2014 को लिखा था। राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत सरपंच अकेला पूर्ण पंचायत नही है, चुने हुए पंच व सरपंच ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में 2/3 बहुमत से निर्णय ले सकते है। केवल मात्र सरपंच कोई निर्णय लेने में सक्षम नही । इसलिए उक्त निर्णय कानूनन अवैध है। काबिल खारिज है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अनेको निर्णय में स्पष्ट है। तथा प्रावधान भी बना रखा है कि केवल कब्जे को आधार

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

नाकर इन्तकाल का फैसला नही कर सकते इसलिए सरपंच ग्राम पचांयत डाबरी ने नियमो को ताक में रखते
र गलत तरीके से उक्त इन्तकाल सं0 360 दिनांक 06.01.2014 को खारिज किया है। जबकि बयनामा में स्वर्ग
ताओं द्वारा केता के पक्ष में कब्जा हस्तान्तरण लिख हुआ है। इसलिए कब्जा न होने का सवाल ही पैदा
ही होता। जिसके विरूद्व यह प्रथम अपील श्रीमान की सेवा में पेश है। अपीलान्टान की पिता सीधा सादा
काश्तकार था जो बयनामा हल्का पटवारी को देकर निश्चित था। तथा ग्राम पंचायत ने फैसला करने से पूर्वमिन
अपीलान्ट के पिता को नोटिस भी जारी नही किया। न सुनवाई की इसलिए इन्तकाल खारिज हो गया। इसकी
जानकारी नही हो सकी, क्योंकि अपीलान्टान का वक्त खरीद से ही उक्त आराजी पर कब्जा था। राजस्व रिकार्ड
की आवश्यकता ही नही पडी।

अब दिनांक 27.04.2024 को मिन अपीलान्टान के पिता का स्वर्गवास हो गया और विरासत के इन्तकाल चढवाने हेतू रिकार्ड का अवलोकन किया तो दिनांक 28.06.2024 को हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त बयनामा में दर्ज आराजी आपके पिता के नाम नही है। इसलिए दिनांक 08.07.2024 को इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल ली उक्त दिनांक 08.07.2024 से तमाम तथ्य जानकारी में आने पर रूप्यो पैसों का इन्तजाम कर वकील से सलाह कर अब बिना देरी के यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। चूकि दिनांक 27.04.2024 को खरीददार श्री खुशहाल सिंह जो मिन अपीलान्टान का पिता है फौत हो गया इसलिए मिन अपीलान्टान उसके जायज वारिसान है उनकी और से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। दिनांक 06.01.2014 को इन्तकाल खारिज हुआ जिसकी प्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2024 को हुई व दिनांक 08.07.2024 को नकल प्राप्त की इसलिए जानकारी की दिनांक 28.06.2024 से अपील पेश करने तक की दिनांक 23.07.2024 तक की मियाद कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए दफा 5 मियाद अधि0 अलग से पेश जा रही है। चूकि ग्राम पंचायत डाबरी का फैसला विधि विरूद्व है और उसकी प्रथम अपील श्रीमान के यहां सुनी जावेगी। इसलिए क्षेत्राधिकार व श्रवण अधिकार न्यायालय श्रीमान का बनता है। अतः अपील अपीलान्टान श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम बरामदा ग्राम पंचायत डाबरी के निर्णय दिनांक 06.01.2014 को अपास्त कर उक्त आराजी का इन्तकाल मिन अपीलान्टान के नाम स्वीकार करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अपील अपीलान्टान दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पाडेण्ड को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से विधिवत तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। रेस्पा0 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्टान के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्टान के विद्वान वकील ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि आराजी खसरा नं0 560 रकबा 0.18 हे0, 563 रकबा 0.49 हे0, 562 रकबा 0.53 हे0, 563 रकबा 0.28 हे0, 539 रकबा 0.35 हे0, वाके ग्राम बरामदा ग्राम पंचायत डाबरी तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो जर्ये बयनामा के दिनांक 27.02.2012 को खातेदार श्रीमती शान्तिबाई पुत्र बधावाराम जाति राजपूत से 1/9 हिस्सा मिन अपीलान्ट के पिता खुशहाल सिंह पुत्र चतरसिंह सैनी ने खरीद की थी। उक्त आराजी अपील में विवादित आराजी कह लायेगी। उक्त विवादित आराजी के सम्बन्धित बयनामा को अपीलान्टान के पिता ने इन्तकाल हेतु हल्का पटवारी डाबरी को दे दिया, हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज कर मिलान हेतु कानूनगो साहब से मिलान करवा कर फैसला हेतू ग्राम पंचायत डाबरी के समक्ष पेश किया तो ग्राम पंचायत डाबरी के तत्कालीन सरपंच ने बिना प्रस्ताव व बिना ग्राम पंचायत की बैठक किये स्वंय ही अपने स्तर पर बिना मौका देखे पूर्वाग्रह से एक लाईन लिखकर खारिज कर दिया कि मौके पर कब्जा न होने के कारण इन्तकाल खारिज किया जाता है। जो दिनांक 06.01.2014 को लिखा था। राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत सरपंच अकेला पूर्ण पंचायत नही है, चुने हुए पंच व सरपंच ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में 2/3 बहुमत से निर्णय ले सकते है। केवल मात्र सरपंच कोई निर्णय लेने में सक्षम नही । इसलिए उक्त निर्णय कानूनन अवैध है। काबिल खारिज है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अनेको निर्णय में स्पष्ट है। तथा प्रावधान भी बना रखा है कि केवल कब्जे को आधार बनाकर इन्तकाल का फैसला नही कर सकते इसलिए सरपंच ग्राम पचांयत डाबरी ने नियमो को ताक में रखते हुए गलत तरीके से उक्त इन्तकाल सं0 360 दिनांक 06.01.2014 को खारिज किया है। राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता ही नही पडी। दिनांक 27.04.2024 को मिन अपीलान्टान के पिता का स्वर्गवास हो गया और विरासत

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

आवश्यकता ही नही पड़ी। दिनांक 27.04.2024 को मिन अपीलान्टान के पिता का स्वर्गवास हो गया और जिसका के इन्तकाल चढ़वाने हेतु रिकार्ड का अवलोकन किया तो दिनांक 28.06.2024 को हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त बयनामा मे दर्ज आराजी आपके पिता के नाम नही है। इसलिए दिनांक 08.07.2024 को इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल ली उक्त दिनांक 08.07.2024 से तमाम तथ्य जानकारी में आने पर रुप्यो पैसों का इन्तजाम कर वकील से सलाह कर अब बिना देरी के यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। चूकि दिनांक 27.04.2024 को खरीददार श्री खुशहाल सिंह जो मिन अपीलान्टान का पिता है फौत हो गया इसलिए मिन अपीलान्टान उसके जायज वारिसान है उनकी और से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। दिनांक 06.01.2014 को इन्तकाल खारिज हुआ जिसकी प्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2024 को हुई व दिनांक 08.07.2024 को नकल प्राप्त की इसलिए जानकारी की दिनांक 28.06.2024 से अपील पेश करने तक की दिनांक 23.07.2024 तक की मियाद कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए दफा 5 मियाद अधि0 अलग से पेश जा रही है। चूकि ग्राम पंचायत डाबरी का फैसला विधि विरुद्व है और उसकी प्रथम अपील श्रीमान के यहां सुनी जावेगी। इसलिए क्षेत्राधिकार व श्रवण अधिकार न्यायालय श्रीमान का बनता है। अतः अपील अपीलान्टान श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम बरामदा ग्राम पंचायत डाबरी के निर्णय दिनांक 06.01.2014 को अपास्त कर उक्त आराजी का इन्तकाल मिन अपीलान्टान के नाम स्वीकार करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वहस विद्वान वकील अपीलान्टान व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो पर गौर करने से स्पष्ट है कि इन्तकाल सं0 360 दिनांक 06.01.2014 ग्राम बरामदा ग्राम पंचायत डाबरी तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर न्यायोचित तरीके से निर्णित नही किया गया है। जिसका विधिसंगत निर्णय आवश्यक है।

आदेश

इस प्रकार अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य पायी जाने से स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 06.01.2014 वाके ग्राम वरामदा तहसील नौगांवा (तत्कालीन तहसील रामगढ) को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नौगांवा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण से सबंधित पक्षकारान को पुनः सुनकर इस नामान्तकरण पर गुणावगुण के आधार पर विधिसंगत रूप से निर्णय करे। इस निर्णय प्रति तहसीलदार नौगांवा को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ